17

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता श्री अमरसिंह चौधरी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 152, व्यवहार प्रकिया संहिता पर बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि इस न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण सं. 865 से संबंधित अपील सं. 19/2014 एवं नामान्तरकरण सं. 1076 से संबंधित अपीलें सं. 20/2014 का निर्णय दिनांक 03.12.2014 को अपीले स्वीकार करते हुए किया गया, परन्तु निर्णय के अंतिम पेरा में " उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों अपीलें (19/2014 व 20/2014) स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 865 व 1067 निरस्त किये जाते है" लिखा गया जबकि अपील सं. 20/2014 रिंकू वगैरा बनाम हरचन्दराम वगैरा में अपीलाधीन नामान्तरकरण 1076 था, न कि 1067 था अतः मात्र लिपिकीय त्रुटिवश नामान्तरकरण सं. 1076 के स्थान पर 1067 लिखा गया। अपनी बहस में यह भी आगे कहा कि ऐसी त्रुटि धारा 152 सी.पी.सी. के तहत संशोधन करने का स्पष्ट प्रावधान है अतः उक्त अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2014 के आदेश के पद में नामान्तरकरण सं. 1067 के स्थान पर नामान्तरकरण 1076 दर्ज कर संशोधन किये जाने का आदेश किया जाय।

हमने निर्णित पत्रावली मूल अपील पत्रावली संख्या 20/2014 का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। उक्त अपील में अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 1076 को चुनौति दी गई। उक्त अपीलं का निणर्य एक अन्य अपील सं. 19/2014 के साथ ही किया गया। निर्णय दिनांक 03.12.2014 के अंतिम पेरा– " उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों

लगातार....

अपीलें (19/2014 व 20/2014) स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 865 व 1067 निरस्त किये जाते है " लिखा गया जो लिपिकीय टंकण त्रुटिवश नामान्तरकरण सं. 1076 के स्थान पर 1067 अंकन हो गया। व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 152 के तहत स्वप्रेरणा या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर न्यायालय को टंकण त्रुटि को सुधार करने की अंतर्निहित शक्तियां (Inherent Power) प्रदत्त है।

अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए पूर्व में इस न्यायालय में निर्णित राजस्व अपील सं. 20/2014 रिंकू वगैरा बनाम हरचंदराम वगैरा अ/धा 75, राज. भू–राजस्व अधि., 1956 निर्णय दिनांक 03.12.2014 के अंतिम पेरा में " उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों अपीलें (19/2014 व 20/2014) स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 865 व 1067 निरस्त किये जाते है" के स्थान पर –

" **उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों अपीलें (19/2014 व 20/2014) स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 865 व 1076 निरस्त किये जाते है** " पढ़ा एवं समझा जावे, का आदेश दिया जाता है। यह आदेश संबंधित मूल अपील सं. 20/2017 निर्णय दिनांक 03.12.2014 का भाग माना जायेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार जोधपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। इस आदेश की प्रति संबंधित मूल अपील सं. 20/2017 निर्णय दिनांक 03.12.2014 के संलग्न भी किया जाय।